अनुबंध क

अखिल भारतीय सेवा शाखा
संघ लोक सेवा आयोग

क्रम सं.	अधिकारी का नाम	राज्य (एससीएम प्रस्तावों के लिए)
1.	श्री मृत्युंजय झा, अवर सचिव 011-23382724 श्री डी.पी. अरोड़ा, अनु.अधि. 011-23383877	हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, पश्चिम बंगाल पॉलिसी
2.	श्री मृत्युंजय झा, अवर सचिव 011-23382724 श्री गौतम के., सहा.अनु.अधि. 011-23383877	गुजरात, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ
3.	श्री शंकर लाल, अवर सचिव 011-23070048 श्री मधुर भास्कर., सहा.अनु.अधि. 011-23383877	असम, केरल, उड़ीसा, अरूणाचल प्रदेश, गोवा, संघ शासित क्षेत्र खंड
4.	श्री शंकर लाल, अवर सचिव 011-23070048 श्री पंकज गुप्ता., सहा.अनु.अधि. 011-23383877	मेघालय, नागालैंड, सिक्किम, मिजोरम
5.	श्री जी.सी. साहा, अवर सचिव 011-23382724 श्री उत्तम कुमार., सहा.अनु.अधि. 011-23383877	झारखंड, कर्नाटक, जम्मू व कश्मीर, महाराष्ट्र
6.	श्री जी.सी. साहा, अवर सचिव	उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मणीपुर

	011-23382724 श्री के. जयराजन., अनु.अधि. 011-23383877	
7.	श्री एम.बी.आर. नायर, अवर सचिव 011-23073406 श्री अनिल दूबे., सहा.अनु.अधि. 011-23383877	पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु
8.	श्री एम.बी.आर. नायर, अवर सचिव 011-23073406 सुश्री करिश्मा, सहा.अनु.अधि. 011-23383877	त्रिपुरा, बिहार

एफ.सं.4/20/2013-अ भा से
संघ लोक सेवा आयोग
धौलपुर हाउस, शाहजहां रोड, नई दिल्ली-110069
फैक्स-23782049 तथा 23073406

दिनांक : 2.9.2013

सेवा में,

मुख्य सचिव,
सभी राज्य ।

विषय:- राज्य सरकारों से प्राप्त चयन समिति बैठकों के प्रस्तावों के निपटान के लिए दिशा-निर्देश- एकल खिड़की प्रणाली अपनाए जाने के संबंध में ।

महोदय,

आयोग ने राज्य सरकारों से चयन समिति बैठक के प्रस्तावों की प्राप्ति के लिए एकल खिड़की प्रणाली को लागू करने का निर्णय लिया है जिससे कि इन प्रस्तावों की पूर्ण रूप से प्राप्ति, समयबद्ध संवीक्षा और चयन समिति बैठकों के शीघ्र कार्यक्रम को सुनिश्चित किया जा सके ।

2. चयन समिति बैठक प्रस्तावों को डाक/ कोरियर/ विशेष प्रतिनिधि के माध्यम से प्राप्त करने की विद्यमान प्रणाली की समीक्षा के बारे में कुछ समय से विचार किया जा रहा था क्योंकि यह पाया गया है कि राज्य सरकारों द्वारा भेजे जाने वाले कई प्रस्तावों में अक्सर कमियां होती थीं और इन सबको ठीक कराने में काफी समय लग जाता था जिसके कारण चयन समिति की बैठकों के आयोजन में विलम्ब हो जाता है ।

3. चयन समिति बैठकों के प्रस्तावों में पाई जाने वाली सामान्य कमियां/ त्रुटियां निम्नानुसार हैं :-

(i) सेवानिवृत्ति/ मृत्यु/ बर्खास्तगी/ सेवा से हटाए जाने आदि के कारण वरिष्ठता सूची में होने वाले परिवर्तनों से संबंधित विवरण को वरिष्ठता सूची में नहीं दर्शाया जाता है या सम्पूर्ण विवरण की जानकारी नहीं दी जाती ।

(ii) पात्रता सूची में दिए गए विवरण भिन्न-भिन्न पाए जाते हैं अर्थात् वरिष्ठता सूची में दिए गए विवरण और पात्रता सूची में शामिल किए गए अधिकारियों की संख्या दिशा-निर्देशों के अनुसार नहीं होती ।

(iii) पात्रता सूची में दिए गए अधिकारियों के नामों की वर्तनी और वरिष्ठता सूची में दिए गए नामों की वर्तनी में अंतर होता है ।

(iv) पूरे वर्ष/ आंशिक अवधि की वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट या तो अपूर्ण या गुम पाई जाती है ।

(v) सत्यनिष्ठा प्रमाण पत्र भारत सरकार के कार्मिक तथा प्रशिक्षण विभाग द्वारा जारी अनुदेशों के अनुसार नहीं होता है ।

(vi) पात्र अधिकारियों के संबंध में अदालती निदेशों का अनुपालन न होना और ऐसे अदालती निर्देशों के विवरण की जानकारी न देना जो उनके मामले में अभी भी लंबित हैं ।

4. सामान्य कमियों की जानकारी को ध्यान में रखते हुए आयोग में इस मामले की जांच की गई और यह सुनिश्चित करने का निर्णय लिया गया है कि एकल खिड़की प्रणाली को अपनाते हुए चयन समिति बैठक के प्रस्ताव को प्रस्तुत करते समय ही उसकी संवीक्षा कर ली जाए औेर केवल ऐसे प्रस्तावों को स्वीकार किया जाए जिनमें कोई बड़ी कमी न हो । विद्यमान जांच सूची में भी समुचित संशोधन कर दिए गए हैं ।

नई एकल खिड़की प्रणाली के अंतर्गत चयन समिति बैठक के प्रस्ताव को स्वीकार करने के लिए संचालन संबंधी दिशा निर्देश निम्नानुसार हैं:-

(i) राज्य सरकार द्वारा चयन समिति बैठक संबंधी प्रस्ताव किसी ऐसे अधिकारी के माध्यम से भेजा जाए जो प्रस्ताव के विवरण से भली भांति परिचित हो ।

(ii) प्रस्ताव लेकर आने वाले अधिकारी को एक या अधिक दिनों तक दिल्ली में स्पष्टीकरण/ चर्चा के लिए रूकना पड़ेगा जो प्रस्ताव के आकार और उसमें निहित मुद्दों पर निर्भर करेगा ।

(iii) आयोग में अ भा से शाखा के संबंधित अवर सचिव से पूर्व अनुमति लेकर राज्य सरकार प्रस्ताव के साथ संबंधित अधिकारी को सोमवार/ मंगलवार/ बुधवार को पूर्वाह्न में भेजेगी । (संबंधित अवर सचिवों की सूची और उनके सम्पर्क विवरण अनुबंध-क के रूप में संलग्न हैं)

(iv) चयन समिति बैठक संबंधी सभी प्रकार से पूर्ण प्रस्ताव संलग्न संशोधित जांच सूची तथा संबंधित निष्पादन (अनुबंध-ख) के अनुसार भेजे जाएंगे ।

(v) सभी प्रस्ताव संबंधित अवर सचिव द्वारा प्राप्त किए जाएंगे जो प्रस्ताव की सम्पूर्ण जांच सुनिश्चित करेंगे और प्रस्ताव लाने वाले अधिकारी के साथ प्रस्ताव की कमियों पर चर्चा करेंगे ।

(vi) भारी कमियों वाले प्रस्ताव को तत्काल लौटा दिया जाएगा ।

(vii) छोटी-मोटी कमियों वाले प्रस्तावों को इस शर्त के साथ रख लिया जाएगा कि संबंधित राज्य सरकार उक्त कमियों को 15 दिनों की अवधि के दौरान पूरा कर देगी । ऐसा न करने पर प्रस्ताव को अपूर्ण रूप में वापस कर दिया जाएगा और राज्य सरकार को बाद में उसे एक नए प्रस्ताव के रूप में प्रस्तुत करना होगा । सामान्य बड़ी/ छोटी कमियों को अनुबंध-ग में दर्शाया गया है ।

(viii) चयन समिति बैठक के प्रस्तावों की जांच संलग्न संशोधित दिशा-निर्देशों के अनुसार की जाएगी (अनुबंध-ग) ।

(ix) एकल खिड़की प्रणाली के तहत चयन समिति बैठक के प्रस्तावों को उक्त वर्ष में केवल 31 अक्तूबर तक स्वीकार किया जाएगा ।

5. नई एकल खिड़की प्रणाली को तत्काल लागू किया जाएगा । संशोधित जांच सूची तथा दिशा-निर्देश आयोग की वेबसाइट www.upsc.gov.in पर उपलब्ध होंगे ।

6. अनुरोध है कि भा प्र से/ भा पु से/ भा व से में पदोन्नति के लिए राज्य सरकार के प्रस्ताव भेजने वाले सभी संबंधित विभागों को उपयुक्त अनुदेश जारी किए जाएं जिससे कि एकल खिड़की प्रणाली के लिए निर्धारित संशोधित दिशा-निर्देशों के अनुसार भविष्य में प्रस्ताव प्रस्तुत करना सुनिश्चित हो सके ।

भवदीय,

(शैलेन्द्र सिंह)
संयुक्त सचिव (अ भा से)
दूरभाष सं. 011-23381439

प्रतिलिपि अग्रेषित :

1. भा प्र से/ भा पु से/ भा व से से संबंधित राज्यों में सभी अधिकारीगण
2. सचिव, कार्मिक तथा प्रशिक्षण विभाग/ गृह मंत्रालय/ पर्यावरण तथा वन मंत्रालय
3. माननीय अध्यक्ष महोदय के विशेष कार्य अधिकारी
4. माननीय सदस्यगण के पी एस ओ/ वरि. प्र नि स/ पी पी एस
5. सचिव के स्टाफ अधिकारी
6. अपर सचिव के प्रधान निजी सचिव
7. संयुक्त सचिव (अ भा से) के निजी सचिव
8. अ भा से डिवीज़न के सभी अधिकारीगण
9. पूर्ण उदाहरण पुस्तिका

(शैलेन्द्र सिंह)
संयुक्त सचिव (अ भा से)

अनुबंध- क

अ भा से शाखा

सं.लो.से.आ.

क्रम सं.	अधिकारी का नाम	राज्य (चयन समिति बैठक के प्रस्ताव के लिए)
1.	श्री मृत्युंजय झा, अवर सचिव 011-23382724 श्री एम.बी.राजेन्द्रन नायर, अ.अ. 011-23383877	पश्चिम बंगाल, गुजरात, मेघालय, सिक्किम, नागालैंड
2.	श्री मृत्युंजय झा, अवर सचिव 011-23382724 श्री श्रीकांत कुमार, सहायक 011-23383877	आंध्रप्रदेश, छत्तीसगढ़, मध्यप्रदेश, हिमाचल प्रदेश
3.	श्री एन.टी.पैते, अवर सचिव 011-23381406 श्री एम.जी.शशिधरन, अनु.अधि. 011-23383877	ए.जी.एम.यू.टी., असम, उड़ीसा, तमिलनाडु, केरल
4.	श्री शंकर लाल, अवर सचिव श्री पी.के. नंदा, सहायक 011-23383877	बिहार, झारखंड, राजस्थान, पंजाब
5.	श्री जी.सी.साहा, अवर सचिव 011-23383877	उ.प्र., कर्नाटक, जम्मू तथा कश्मीर, महाराष्ट्र
6.	श्री जी.सी.साहा, अवर सचिव 011-23383877	उत्तराखंड, हरियाणा, मणिपुर, त्रिपुरा

अनुबंध-ग

राज्य सरकार के अधिकारियों को अखिल भारतीय सेवाओं में पदोन्नति के लिए राज्य सरकार से प्राप्त प्रस्तावों के निपटान के लिए मार्गनिर्देश-एकल खिड़की प्रणाली के संबंध में।

****

राज्य सरकार के अधिकारियों की अखिल भारतीय सेवाओं में पदोन्नति के लिए राज्य सरकार से प्राप्त प्रस्तावों के संबंध में कार्यवाही को सरल एवं कारगर बनाने के लिए आयोग ने "एकल खिड़की प्रणाली" की शुरूआत करने का निर्णय लिया है जिसके अंतर्गत प्रस्तावों का निपटान निम्नलिखित तरीके से किया जाएगा:-

(क) एकल खिड़की प्रणाली के अंतर्गत 31 अक्तूबर तक प्राप्त प्रस्ताव

(I) राज्य सरकार से चयन समिति बैठक के प्रस्ताव केवल ऐसे अधिकारी द्वारा प्राप्त किया जाएगा जो प्रस्ताव के विवरण से पूरी तरह से परिचित होगा।

(II) वे अधिकारी जो प्रस्ताव ला रहे हैं, को अपेक्षित स्पष्टीकरण / चर्चा जो प्रस्ताव के आकार तथा उसमें शामिल मामले पर निर्भर है, के लिए दिल्ली में एक या उससे अधिक दिन ठहरना अपेक्षित होगा।

(III) राज्य सरकार प्रस्ताव के साथ संबंधित अधिकारी को आयोग की अखिल भारतीय सेवा शाखा के संबद्ध अवर सचिव से पूर्व समय लेकर सोमवार / मंगलवार / बुधवार के पूर्वा. में भेजेंगे।

(IV) सभी तरह से पूर्ण चयन समिति की बैठक के प्रस्ताव को संशोधित जांच सूची और संबंधित प्रारूप (अनुबंध-।) के अनुसार प्रस्तुत करना होगा।

(V) सभी प्रस्ताव संबंधित अवर सचिव द्वारा प्रस्ताव प्राप्त किए जाएंगे। जो प्रस्ताव की पूर्ण जांच करेगा और प्रस्ताव लाने वाले अधिकारी के साथ इसकी कमियों पर चर्चा करेगा।

(VI) मुख्य कमियों वाले प्रस्तावों को तत्काल लौटा दिया जाएगा।

(VII) कम कमियों वाले प्रस्ताव को इस शर्त के साथ रखा जाएगा कि राज्य सरकार उक्त प्रस्ताव में 7 दिनों के भीतर सुधार करेगी। इसके असफल होने पर प्रस्ताव को अपूर्ण प्रस्ताव के रूप में लौटा दिया जाएगा और राज्य सरकार को भविष्य में इस प्रस्ताव को नए प्रस्ताव के रूप में पुन: प्रस्तुत करना अपेक्षित होगा।

(VIII) नई एकल खिड़की प्रणाली के अंतर्गत चयन समिति की बैठक संबंधी प्रस्ताव केवल वर्ष की 1 जनवरी से 31 अक्टूबर के दौरान स्वीकार किए जाएंगे तथा नवम्बर/ दिसम्बर के दौरान प्रस्ताव नीचे दिए गए पैरा 'ख' के अनुसार स्वीकार किए / प्रोसेस किए जाएंगे।

(ख) <u>नवम्बर तथा दिसम्बर के दौरान प्राप्त प्रस्ताव</u> :

(I) जांच सूची के अनुसार अपूर्ण प्रस्ताव राज्य सरकारों को तीन कार्यदिवसों के भीतर लौटा दिए जाएंगे ।

(II) यदि राज्य सरकार से प्राप्त प्रस्ताव जांच सूची के अनुसार पूर्ण हैं लेकिन बाद में मुख्य कमियों के कारण अर्थात दस्तावेज / जानकारी जो महत्वपूर्ण है और इसके बिना प्रस्ताव पर कार्यवाही नहीं की जा सकती है, तो प्राप्ति के 15 दिनों के भीतर राज्य सरकार को इस अनुरोध के साथ लौटा दिया जाएगा कि वे इन कमियों का हल निकालें और उसके बाद नया प्रस्ताव प्रस्तुत करें।

(III) जांच सूची के अनुसार प्रस्ताव पूर्ण हैं लेकिन बाद में कुछेक छुट-पुट कमियों

/ स्पष्टीकरण के कारण इसमें कुछ कमियां पाई गई हैं, को लौटाया नहीं जाएगा लेकिन ऐसी कमियों को आयोग में प्रस्ताव के प्राप्ति के 15 दिनों के भीतर राज्य सरकार के नोटिस में लाया जाएगा और उन्हें सं.लो.से.आ. से पत्र की प्राप्ति के 15 दिनों के भीतर स्पष्टीकरण / कमियों को पूरा करना अपेक्षित होगा। यदि निर्धारित समय-सीमा के भीतर स्पष्टीकरण प्राप्त नहीं किया जाता / कमियों को पूरा नहीं किया जाता तो इन प्रस्तावों को राज्य सरकारों को लौटाया जा सकता है।

2. आयोग ने मुख्य एवं गौण कमियों को वर्णित किया है जो निम्नानुसार है:-

मुख्य कमियां	गौण कमियां
(I) जांच सूची के सभी कॉलम और संलग्न प्रारूप पूर्ण रूप से नहीं भरे गए हैं। (II) प्रमाण-पत्र को अनुबंध 3.1, 3.2,3.3 एवं 7 के अनुसार प्रस्तुत नहीं किया गया है। (III)किन्हीं पात्र अधिकारियों के संबंध में, एक वर्ष या उससे अधिक की वा.गो.रि. गुम हो गई है और उनकी अनुपलब्धता के बारे में कोई वैध कारणों को दर्शाया नहीं गया है। (IV)किसी पात्र अधिकारी के संबंध में, एक वर्ष या उससे अधिक के लिए वा.गो.रि.के भाग गुम हो गए हैं और उनकी अनुपलब्धता के बारे में कोई वैध कारणों को दर्शाया नहीं गया है। (V) दस्तावेज / जानकारी जो महत्वपूर्ण हैं और इसके बिना प्रस्ताव के संबंध में कार्यवाही नहीं की जा सकती है, की अनुपलब्धता के कारण प्रस्ताव अपूर्ण है।	(I) पात्रता जांच सूची में अधिकारियों के नाम की वर्तनी में वरिष्ठता सूची में दिए गए नाम की वर्तनी से अंतर है। (II) कोई स्पष्टीकरण / अतिरिक्त जानकारी प्रस्ताव के लिए अपेक्षित है।

पैरा 'VI'

अखिल भारतीय सेवा वेबसाईट

भा.प्र.से./भा.पु.से./भा.व.से. में पदोन्नति के लिए चयन समिति की बैठकों के आयोजन हेतु प्रस्ताव के साथ आयोग को प्रस्तुत किए जाने के लिए अपेक्षित सूचना / प्रलेखों का विवरण

1. रिक्तियां : जिन वर्षों के लिए चयन सूचियों को तैयार किया जाना अपेक्षित है उन वर्षों के लिए रिक्तियों का स्पष्ट निर्धारण करने वाले भारत सरकार के आदेश की प्रति।
2. वरिष्ठता सूची : राज्य सिविल/पुलिस/वन सेवा अधिकारियों, जिनमें से भा.प्र.से. / भा.पु.से. /भा.व.से. में पदोन्नति की जानी है, जिसमें की जन्म तिथि, स्थायीकरण की तिथि, अनुसूचित जाति।अनुसूचित जन जाति की स्थिति, एस सी एस/एस पी एस/एस एफ एस आदि के अर्हक ग्रेड में लगातार नियुक्ति की तिथि दर्शाने वाली पूर्ण एवं प्रकाशित वरिष्ठता सूची।
3. पात्रता सूची : अनुलग्नक 3.1 (रा.सि.से.), 3.2 (रा.पु.से.) एवं 3.3 (रा.व.से.) के अनुसार चयन समिति द्वारा विचार किए जाने के लिए अपेक्षित अधिकारियों की पात्रता सूची (जहां वर्ष-वार पात्रता सूची लागू है)। अनुलग्नक-3.4 में फॉर्मेट के अनुसार गैर-रा.सि.से. अधिकारियों के संबंध में जीवनवृत्त। अनुलग्नक 3.4-क में फॉर्मेट के अनुसार चयन समिति के विचारार्थ प्रस्तावित गैर रा.सि.से. अधिकारियों के समेकित विवरण।
4. अनुशासनिक मामले/शास्तियों आदि का विवरण : पात्र अधिकारियों के विरूद्ध लंबित अनुशासनिक/आपराधिक कार्यवाहियों की नवीनतम स्थिति जिसमें संक्षिप्त तथ्यों और आरोपों की प्रकृति के साथ-साथ संबंधित अधिकारी को आरोप पत्र जारी करने की तिथि अनुलग्नक-4.1 में फॉर्मेट के अनुसार दर्शाई गई हो। यदि डी ई / डी पी आदि के परिणामस्वरूप शास्ति अधिरोपित की गई है, अनुलग्नक-4.2 में फॉर्मेट के अनुसार ऐसी शास्तियों के ब्यौरे भी दिए जाएं।
5. सत्यनिष्ठा प्रमाणपत्र : पात्र अधिकारियों की सत्यनिष्ठा को प्रमाणित करने / रोकने संबंधी सत्यनिष्ठा प्रमाणपत्र विधिवत रूप से मुख्य सचिव द्वारा हस्ताक्षरित हों। अनुलग्नक 5 में प्रारूप के अनुसार पात्र अधिकारियों की सत्यनिष्ठा को रोकने के कारणों सहित उनके संक्षिप्त ब्यौरे भी दर्शाए जाएं।

6. <u>वार्षिक गोपनीय रिपोर्टों में प्रतिकूल टिप्पणियां</u> : राज्य सेवा अधिकारियों की वा.गो.रि. में प्रतिकूल टिप्पणियों के संप्रेषण का विवरण तथा का.प्र.वि. के दिनांक 07.07.1981 के कार्यालय ज्ञापन के अनुसार ऐसी टिप्पणियों के प्रत्यावेदन अनुलग्नक-6 में फॉर्मेट के अनुसार हो।
7. <u>वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट डोजियर</u> : पात्र अधिकारियों के पूर्ण वा.गो.रि. डोजियर के साथ वा.गो.रि. की वर्ष-वार उपलब्धता दर्शाने वाला विवरण प्रस्ताव के साथ प्रस्तुत किया जाए। यदि कुछ वा.गो.रि./खंड वा.गो.रि. उपलब्ध नहीं है, भारत सरकार (का.प्र.वि.) के जुलाई, 1988 के कार्यालय ज्ञापन में समाविष्ट किए गए अनुसार वैध कारणों को दर्शाने वाला प्रमाणपत्र संबंधित वा.गो.रि. डोजियर के साथ संलग्न किया जाए। अनुलग्नक-7 में फॉर्मेट के अनुसार वा.गो.रि. की अनुपलब्धता की स्थिति और इसके कारण दर्शाने वाला विवरण भी प्रस्तुत किया जाए।
8. <u>न्यायालय के निदेश</u> : अदालती मामलों और न्यायलयी आदेशों (अंतरिम या अंतिम) जिनका चयन सूची पर प्रभाव पड़ता हो जिसमें संक्षिप्त तथ्यों तथा न्यायालयी मामले की प्रासंगिकता सूचित करते हुए चयन सूची से अनुलग्नक-8 के अनुसार प्रस्तुत किया जाए।
9. <u>चयन समिति बैठक का गठन</u> : बैठक के समय इस आशय का प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत किया जाए कि चयन समिति की बैठक में भाग लेने वाले राज्य सरकार के अधिकारी निश्चित रूप से भा.प्र.से./भा.पु.से./भा.व.से. पदोन्नति विनियम में विनिर्दिष्ट चयन समिति के संशोधित गठन के अनुसार हैं और अनुलग्नक-9 के अनुसार ये अधिकारी अखिल भारतीय सेवा के सदस्य हैं।
10. <u>संबंधी न होने का प्रमाण पत्र</u> : चयन समिति की बैठक आरंभ होने से पहले चयन समिति के सदस्यों से संबंधी न होने का प्रमाण पत्र पर हस्ताक्षर करना अपेक्षित है जो यह प्रमाणित करता है कि चयन समिति द्वारा उनके किसी भी निकट संबंधी पर विचार नहीं किया जा रहा है और यह कि वे अन्यथा रूप से किसी विशिष्ट उम्मीवार में रूचि नहीं रखते हैं। चयन समिति में राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व करने वाले सदस्यों को भी इस अपेक्षा के विषय में सूचित किया जाए और उनसे भी इस आशय का प्रमाण पत्र अन्तिम रूप से लिया जाए और अनुलग्नक-10 के अनुसार आयोग को प्रस्तुत किया जाए।
11. <u>संपर्क हेतु ब्यौरे</u> : राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व करने वाले चयन समिति के सदस्यों के नाम, पदनाम, दूरभाष संख्या।

12. गैर-रा.सि.से. अधिकारियों के मामले में ऊपर दिए गए पैरा-1,3 से 10 के अतिरिक्त, इस आशय का प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत किया जाए कि राज्य सरकार द्वारा अनुशंसित गैर-रा.सि.से. अधिकारी उत्कृष्ट योग्यता एवं क्षमता रखते हैं, स्थायपन राजपत्रित पद धारण किए हैं और जिन्होंने चयन सूची वर्ष की पहली जनवरी को राज्य सरकार के अधीन किसी भी पद पर, जो अनुलग्नक-11 में फॉर्मेट के अनुसार राज्य सिविल सेवा में उप समाहर्ता के पद के रूप में समकक्ष घोषित किया गया है 8 वर्षों की अनवरत सेवा पूर्ण की है। राज्य के अधीन गैर-रा.सि.से. पदों को उप समाहर्ता के पद के समकक्ष घोषित करने वाले आदेश की एक प्रति भी प्रस्तुत की जाए।